रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-24092026-276455
CG-DL-W-24092026-276455

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 33] नई दिल्ली, सितम्बर 13—सितम्बर 19, 2026, शनिवार/ भाद्र 22—भाद्र 28, 1948
No. 33] NEW DELHI, SEPTEMBER 13—SEPTEMBER 19, 2026, SATURDAY/BHADRA 22— BHADRA 28, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 161.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग संगठन (मृदा सर्वेक्षण अधिकारी) भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधीन भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण में मृदा सर्वेक्षण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मृदा सर्वेक्षण अधिकारी (समूह 'क' पद), भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. —उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनके स्तर या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि. —भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6 व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मृदा सर्वेक्षण अधिकारी	7*(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	**साधारण केन्द्रीय सेवा**, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 11 (67700-208700 रुपये) ।	चयन पद	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**
(7)	**(8)**	**(9)**
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
पद्धति	
शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 10 (56100-177500 रुपये) में सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी या सहायक मृदा रसायनज्ञ, जिनके पास इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा हो और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशासनिक नियम या स्थापना नियम या वित्तीय नियमों में एक सप्ताह का प्रशिक्षण और रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीक का उपयोग करके मृदा या भूमि संसाधन मानचित्रण या सूचीकरण में एक सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1:** सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी और सहायक मृदा रसायनज्ञ के पोषक प्रवर्ग का अनुपात 4:1 के अनुपात में बनाए रखा जाएगा। **टिप्पण 2:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु उनकी अर्हता या पात्रता सेवा की अवधि ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । जिन्होंने ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
1. विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: – (1) अपर सचिव (एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रभाग), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष; (2) संयुक्त सचिव (एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रभाग), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग - सदस्य; (3) संयुक्त सचिव (प्रशासन), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग - सदस्य; (4) अपर आयुक्त या निदेशक या उप सचिव (एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रभाग), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग - सदस्य; (5) मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण, - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

[फा. सं. 13-1/2021- एसएलयूएसआई/आईएनएम]

चंद्रशेखर प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2026

G.S.R. 161.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Soil and Land Use Survey of India (Soil Survey Officer) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Soil Survey Officer in the Soil and Land Use Survey of India under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Soil and Land Use Survey of India, Soil Survey Officer (Group -‘A’ post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. — The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc. — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Class, ex-servicemen or other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Pay level in pay matrix.**	**Whether selection post or non selection post.**	**Age-limits for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Soil Survey Officer.	7*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	**General Central Services,** Group ‘A’, Gazetted, Non-ministerial.	Level - 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Selection post.	Not applicable

Educational and other Qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes.**	**Period of probation, if any.**
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
Method	
Hundred percent by promotion.	**Promotion:** Assistant Soil Survey Officer or Assistant Soil Chemist in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) with five years regular service in the grade and having successfully completed one week training in administration rule or establishment rules or financial rules and one week training in Soil or Land Resource Mapping or Inventory using Remote Sensing and Geographic Information Systems Technique from a recognised Institute. **Note 1:** The ratio of feeder grades Assistant Soil Survey Officer and Assistant Soil Chemist shall be maintained in the ratio 4:1. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commissionto be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
1. Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: – (1) Additional Secretary (Integrated Nutrient Management Division), Department of Agriculture and Farmers Welfare -Chairperson; (2) Joint Secretary (Integrated Nutrient Management Division), Department of Agriculture and Farmers Welfare -Member; (3) Joint Secretary (Administration), Department of Agriculture and Farmers Welfare -Member; (4) Additional Commissioner or Director or Deputy Secretary (Integrated Nutrient Management Division), Department of Agriculture and Farmers Welfare -Member; **(5)** Chief Soil Survey Officer, Soil and Land Use Survey of India -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 13-1/2021-SLUSI/INM]

Chandra Shekhar Prasad, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.09.24 12:12:03 +05'30'